Rule 91 : Grant of provisional refund

(1) The provisional refund in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54 shall be granted subject to the condition that the person claiming refund has, during any period of five years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates, not been prosecuted for any offence under the Act or under an existing law where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

(2) The proper officer, after scrutiny of the claim and the evidence submitted in support thereof and on being prima facie satisfied that the amount claimed as refund under sub-rule (1) is due to the applicant in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, sanctioning the amount of refund due to the said applicant on a provisional basis within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90.

[1]**[Provided that** the order issued in **FORM GST RFD-04** shall not be required to be revalidated by the proper officer.**]**

(3) The proper officer shall issue a [2]**[**payment order**]** in **FORM GST RFD-05** for the amount sanctioned under sub-rule (2) and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund [3]**[**on the basis of a consolidated payment advice:**]**

[4]**[Provided that** the [5]**[**payment order**]** in **FORM GST RFD-05** shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year in which the said [6]**[**payment order**]** was issued.**]**

---

1 Proviso inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

2 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

3 Inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 24-09-2019.

4 Proviso inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

5 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

6 Substituted for "payment advice" by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019. It is made effective from 24-09-2019 by Noti. No. 42/2019–Central Tax, dt. 24-09-2019.

[7]**[(4)** The Central Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (3).**]**

---

7 Sub-rule (4) inserted by Noti. No. 49/2019–Central Tax, dt. 09-10-2019 w.e.f. 24-09-2019.

नियम 91 : अनंतिम प्रतिदाय को प्रदाय करना

(1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रूपए से अधिक है।

(2) समुचित अधिभारी दावों की संविक्षा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–04** में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेष करेगा।

[1]**[परन्तु** उचित अधिकारी द्वारा, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–04** में जारी आदेश को पुनः विधिमान्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।**]**

(3) समुचित अधिकारी उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में [2]**[**संदाय आदेष**]** जारी करेगा और [3]**[**एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर**]** उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय करेगा।

[4]**[परन्तु जहां** प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त [5]**[**संदाय आदेश**]** जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–05** में [6]**[**संदाय आदेश**]** को पुनः विधिमान्यता की अपेक्षा नहीं होगी।

[7]**[(4)** केन्द्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी। **]**

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीयकर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2019)।

4 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

5 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। यह अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

6 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा ''संदाय सूचना'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। यह अधिसूचना क्रमांक 42/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

7 अधिसूचना क्रमांक 49/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (4) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2019)।